

**कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा**

पत्रांक संख्यांक / बैठकीय / मान्यता / 953—55

/ 2024—25

तारीख 12.07.2024

**प्रबन्धक**

क्रिमसन वर्ल्ड स्कूल

आगरा

**विषय:** निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण —पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 14/06/2024 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं क्रिमसन वर्ल्ड स्कूल आगरा को प्री—प्राइमरी, प्राइमरी, एवं जूँहांस्कूल स्तर (प्राइमरी स्तर से पूर्व की दो कक्षायें तथा एक से आठ तक की कक्षाओं) के लिए अंग्रेजी माध्यम की अन्तिम, मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त, मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्याधीन हैं—

1— मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा—8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2—विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबन्ध 1)ए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपाबन्ध 2) उपबंधों का पालन करेगा।

3— विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस—पड़ोस के कमज़ोर वर्गों और सुविधा—विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4— पैरा—3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5— सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता—पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6— विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा।

विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:

(प) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(पप) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।

(पपप) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(पअ) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण—पत्र प्रदान किया जाएगा।



(अ) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना ।

(अप) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम आर्हताओं के की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताये नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगे,

(अपप) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और

(अपप) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगे।

7— विद्यालय समुचित प्रधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8— विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार है।

- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल – 8826 वर्गमीटर
- कुल निर्मित क्षेत्र— 2209 वर्गमीटर
- क्रीड़ा— स्थल का क्षेत्रफल— 4000 वर्गमीटर उपलब्ध है।
- कक्षाओं की संख्या —15 उपलब्ध है।
- प्राध्यापक—सह—कार्यालय—सह—भंडागार के लिए कक्ष उपलब्ध है।
- बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय 88त्र16 उपलब्ध है।
- पेयजल सुविधा—साधारण हैण्ड पम्प, इण्डिया मार्का, बोरिंग नल उपलब्ध है।
- मिड—डे—मिल पकाने के लिए रसोई—उपलब्ध है।
- बाधारहित पहुँच—उपलब्ध है।
- अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता—उपलब्ध है।

9— विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई—गैर—मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएगी।

10— विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11—विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1882 (1882 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत् किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12— स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।

13— विद्यालय के लेखाओं को किसी चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।

14— आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 27ध14है, कृपया इसे नोट कर लें और दम्भ कार्गाल्ग के माश किञ्चि पत्ताज्ञान के लिए दम्भ मंज्हांक का उल्लेख करें।

15—विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय—समय पर शिक्षा निदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार / स्थानीय प्रधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरणी की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जायें।

16—सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।

17—मान्यता आवेदन पत्र तथा सलग्न पत्राजातों में उल्लिखित अन्य कोई विवरण / तथ्य असत्य पाये जाते हैं अथवा काई तथ्यगोपन पाया जाता है या मान्यता आदेष प्रमाण—पत्र में जिन कक्षाओं का उल्लेख है उसके अतिरिक्त अन्य कक्षाएँ संचालित पाये जाने पर मान्यता प्रमाण—पत्र नियमानुसार निरस्त कर दिया जायेगा।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
आगरा

पृ०सं०/ब०शि०/

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), आगरा

सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी / नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद—आगरा।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
आगरा

